Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

फूला उर्फ फूली बनाम सरकार

अपील संख्या 79/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.6.25	अपील श्री रामस्वरूप साहू अधिवक्ता ने पेश। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन पर सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 3008 दिनांक 30.5.25 के विरूद्व पेश की गई है। जिसके द्वारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर की अभिशंषा पर ग्राम सूरवाल के खसरा न0 591 रकबा 0.44 है0 मे से 0.38 है0 तथा ख0न0 525/7216 रकबा 0.14 है0 मे से 0.03 है0 कुल 0.41 है0 भूमि राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो,चिकित्सालयो एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पुलिस थाना सूरवाल के भवन निर्माण हेतु भूमि का आंवटन किया गया है। चूकि: उक्त आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किया गया है। जबकि इस न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर प्रकरणो की सुनवाई का श्रेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मूल ही अपीलांट अधिवक्ता को लौटाने के आदेश दिये जाते है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम न्यायालय मे उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली मे साबिक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	मूल पत्रावली अपील प्राप्त की [illegible] 01/7/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:11 IST
Reason: SelfAttested